रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1489] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 16, 2014/आषाढ़ 25, 1936
No. 1489] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 16, 2014/ASHADHA 25, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2014

का. आ. 1852(अ).—यतः, मै. श्यामाराजू एंड कम्पनी (इंडिया) प्रा. लि. जो एक निजी संगठन है, ने कर्नाटक राज्य के कुंडालाहल्ली गाँव, कृष्णराजपुरम हुबली, बंगलौर पूर्वी तालुक, बंगलौर जिले में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 16 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1771(अ), के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया;

और यतः, मै. श्यामाराजू एंड कम्पनी (इंडिया) प्रा. लि. ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 8.56 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करके उसे दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 को अनुमोदित कर दिया है;

और यतः, हरियाणा सरकार ने उनके दिनांक 19.11.2013 के पत्र संख्या आईएंवसी/एसईज़ेड/श्यामाराजू/एनओसी/04/2013–14 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया है;

और यतः विकास आयुक्त, कौचिन विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 8.56 हैक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है।

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 8.56 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 21.76 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :–

अनधिसूचित क्षेत्र की तालिका

क्र.सं.	सर्वे नम्बर	अधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अनधिसूचित होने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	परिमाणी क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	44/1	0.91	0	0.91
2.	44/2	0.27	0	0.27
3.	45/1	0.2	0.16	0.04
4.	45/2	0.58	0.42	0.16
5.	43/3	0.32	0	0.32
6.	44/3	0.05	0	0.05
7.	37	0.23	0.23	0
8.	38पी	0.44	0	0.44
9.	43/2	0.19	0	0.19
10.	44/4	0.42	0	0.42
11.	136	2.55	0	2.55
12.	42/1	0.91	0	0.91
13.	42/3	0.05	0	0.05
14.	96	2.15	0	2.15
15.	94	0.67	0	0.67
16.	95	2.33	1.9	0.43
17.	78	0.96	0.86	0.1
18.	137	1.36	0.88	0.48
19.	49/1	0.59	0.1	0.49
20.	49/2	0.81	0.02	0.79
21.	50/2	0.79	0.14	0.65
22.	51/1	0.38	0.38	0
23.	51/2	0.31	0.31	0
24.	51/4	0.4	0.4	0
25.	57पी	2.06	1.89	0.17
26.	36/3	0.51	0.51	0
27.	97/1	0.17	0	0.17
28.	97/2	0.18	0	0.18
29.	97/3	0.15	0	0.15
30.	100/1	0.14	0	0.14
31.	100/2	0.14	0	0.14
32.	100/3	0.16	0	0.16
33.	36/2	0.35	0.35	0
कुल		**21.76**	**8.56**	**13.20**

[फा. सं. एफ. 2/131/2006–एसईजेड]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2014

S.O. 1852(E).—Whereas, M/s. Shyamaraju and Company (India) Private Ltd. had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up an IT/ITES Special Economic Zone at Kundalahalli Village, Krishnhrajapuram Hobli, Bangalore East Taluk, Bangalore in the State of Karnataka;

And, Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with Rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had notified the areas of 21.76 hectares, at above Special Economic Zone *vide* Ministry of Commerce and Industry, Notification numbers S.O. 1771 (E) dated 16th October, 2006;

And, whereas, M/s. Shyamaraju and Company (India) Private Ltd. has now proposed to de-notify an area of 8.56 hectares from the above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for de-notification of above area on 19th December, 2012;

And, whereas, the State Government of Karnataka has given its "No Objection" to the proposal vide letter No. I&C/SEZ/Shyamaraju/NOC/04/2013-14, dated 19.11.2013;

And whereas, the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 8.56 hectares of the Special Economic Zone;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 8.56 hectares as part of the above Special Economic Zone, thereby making total area of the Special Economic Zone as **13.20 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the Table, namely :—

TABLE FOR DE-NOTIFICATION

S. No.	Survey Number	Present area (in Hectare)	De-notified area (in Hectare)	Resultant area (in Hectare)
1.	44/1	0.91	0	0.91
2.	44/2	0.27	0	0.27
3.	45/1	0.2	0.16	0.04
4.	45/2	0.58	0.42	0.16
5.	43/3	0.32	0	0.32
6.	44/3	0.05	0	0.05
7.	37	0.23	0.23	0
8.	38P	0.44	0	0.44
9.	43/2	0.19	0	0.19
10.	44/4	0.42	0	0.42
11.	136	2.55	0	2.55
12.	42/1	0.91	0	0.91
13.	42/3	0.05	0	0.05
14.	96	2.15	0	2.15
15.	94	0.67	0	0.67
16.	95	2.33	1.9	0.43

17.	78	0.96	0.86	0.1
18.	137	1.36	0.88	0.48
19.	49/1	0.59	0.1	0.49
20.	49/2	0.81	0.02	0.79
21.	50/2	0.79	0.14	0.65
22.	51/1	0.38	0.38	0
23.	51/2	0.31	0.31	0
24.	51/4	0.4	0.4	0
25.	57P	2.06	1.89	0.17
26.	36/3	0.51	0.51	0
27.	97/1	0.17	0	0.17
28.	97/2	0.18	0	0.18
29.	97/3	0.15	0	0.15
30.	100/1	0.14	0	0.14
31.	100/2	0.14	0	0.14
32.	100/3	0.16	0	0.16
33.	36/2	0.35	0.35	0
Total		**21.76**	**8.56**	**13.20**

[F. No. F. 2/131/2006-SEZ]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.